रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052024-254434
CG-DL-E-30052024-254434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2044] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2024/ज्येष्ठ 8, 1946
No. 2044] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2024/JYAISHTHA 8, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2024

का.आ. 2143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 891 (अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 891(अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 891 (अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. निगरानी समिति.** – केंद्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(i)	आयुक्त, मिर्जापुर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिलाधिकारी, सोनभद्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iii)	जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र या मिर्जापुर	सदस्य, पदेन;
(v)	क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर नियोजक	सदस्य, पदेन;
(vi)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि [जो पर्यावरण और विरासत के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो]	सदस्य;
(viii)	राजकीय जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन;
(ix)	उप वन संरक्षक, कैमूर वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।"

6. निगरानी समिति के कार्य.- (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1553 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना के **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/112/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2024

S.O. 2143(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 891 (E), dated the 20th March, 2017;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 891 (E), dated the 20th March, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 891 (E), dated the 20th March, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely : -

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

(i)	Commissioner, Mirzapur	Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of District Magistrate, Sonbhadra	Member, ex officio;
(iii)	A representative of District Magistrate, Mirzapur	Member, ex officio;
(iv)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra or Mirzapur	Member, ex officio;
(v)	Senior Town Planner of the area	Member, ex officio;
(vi)	An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the Government of Uttar Pradesh from time to time every three years.	Member;
(vii)	A representative of Non-Governmental Organisation [working in the field of environment and heritage] to be nominated by the Government of Uttar Pradesh from time to time every three years.	Member;
(viii)	Member of State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Kaimur Wildlife Division	Member Secretary, ex officio."

6. **Functions of Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests may file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-IV**, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/112/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

IndiaCode

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 891(E), dated the 20th March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.30 17:53:18 +05'30'